

(658
659)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

अधिसूचना 568
पंजीयन 5116

झारखण्ड राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन एवं अनुश्रण हेतु
जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLMC) के गठन के संबंध में।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के D.O.No. 13015/01/2016 Credit-II दिनांक 15.01.2016 के द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित की गयी है। झारखण्ड राज्य में खरीफ 2016 से राज्य में क्रियान्वित किया जाना है इस योजना के तहत प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार इसे सुचारू रूप कार्यान्वयन करने एवं अनुश्रवण करने हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLMC) का गठन किया जाता है।

1.	उपायुक्त-	अध्यक्ष
2.	अपर समाहर्ता (राजस्व)-	सदस्य
3.	जिला सहकारिता पदाधिकारी-	संयोजक
4.	जिला सांखिकी पदाधिकारी-	सदस्य
5.	जिला कृषि पदाधिकारी-	सदस्य
6.	जिला पशुपालन पदाधिकारी-	सदस्य
7.	जिला गव्य पदाधिकारी-	सदस्य
8.	जिला मत्स्य पदाधिकारी-	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०-	सदस्य
10.	अग्रणी जिला प्रबंधक-	सदस्य
11.	जिला विकास प्रबंधक, नाबाड़-	सदस्य
12.	परियोजना प्रबंधक 'आत्मा' -	सदस्य
13.	लैम्पस/पैक्स के दो कृषक प्रतिनिधि-	सदस्य।

इस समिति के कार्यकलाप निम्न प्रकार होंगे-

क- अधिसूचित क्षेत्र एवं बीमित फसलों का सत्यापन

ख- योजना अनुसार फसल कटनी प्रयोग का ससमय सम्पादन।

ग- फसल, मौसम एवं फसली ऋण की स्थिति का पाक्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।

घ- योजना का प्रचार-प्रसार।

ड- योजना के अनुसार उपयोगी अन्य कोई बिन्दु पर निर्णय।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी पदाधिकारियों/ कार्यालयों को सूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० नितिन कुलकर्णी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-07/प्र०फ०बी०यो० (खरीफ 2016)-03/2016 सह ५६८, राँची, दिनांक:- ५।३।।६

प्रतिनिधि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, झोरण्डा, राँची को झारखण्ड राज्यपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियाँ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जाय।

N.Kumar
सरकार के सचिव ॥

ज्ञापांक:-07/प्र०फ०बी०यो० (खरीफ 2016)-03/2016 सह ५६८, राँची, दिनांक:- ५।३।।६

प्रतिनिधि—सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रशासक, राज्य सहकारिता बैंक लि०, झारखण्ड/नाबार्ड, झारखण्ड, राँची/भारतीय रिजर्व बैंक, राँची/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि०, राँची/कृषि एवं सहकारिता किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/राष्ट्रीय स्तरीय बैंकर्स समिति, राँची/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राँची/निदेशक, झारखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, झारखण्ड, राँची/नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि०, राँची/निदेशक 'समेति', राँची/सरकार के संबंधित सभी विभाग एवं सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमणडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ—सह—नोडल पदाधिकारी, PMFBY, राँची/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, झारखण्ड/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/प्राचार्य, सहकारिता परिषिक्षण केन्द्र, राँची एवं देवघर/राज्य के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक/ National Sample Survey Organisation Jharkhand को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

N.Kumar
सरकार के सचिव।

R. *11/3* *Q*